

7

58004/R71/2011

9/12

52

2603/R71/CR
2011

Public Affairs
Section

सूचना का अधिकार आवेदन

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत)

दिनांक 29.11.11

प्रेषक,

सोनू सिंह,
ग्राम - सहीजना रोड, नजदीक सहिजना मील,
पो 0 + जिला - गढ़वा,
झारखण्ड - 822114

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी,
केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत उपबन्धित प्रावधानों के तहत मांगे गए विषयों से संबंधित सही एवं आपेक्षित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में।

नहाशय,

उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन उपबन्धित संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में नाम गए विषयों से संबंधित वांछित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ अधोहस्ताक्षरी को अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की संवैधानिक समयबद्धि के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मांगी जा रही सूचना बिजडू विन्गाकित हैं :-

DSCCS/
DOPT

NIL

Not
concluded

Not
concluded

01. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 के प्रभावी रूप से अनुपालन किए जाने हेतु माननीय भारत सरकार को यत्नवाची स्तर से जारी निर्देशों व आदेशों की वांछित प्रति उपलब्ध करादी जाए।
02. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात अबतक कितने ऐसे लोग हैं जो कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने के कारण हताहत हुए हैं। वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाए।
03. यह कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षा व संरक्षण देने के निमित्त माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों की वांछित प्रति उपलब्ध कराई जाए।


b
①

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रूप में निर्धारित ₹ 10/- रु 0 की राशि का भुगतान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन उपबन्धित प्रावधानों के अनुरूप मूल रूप में सूचना का अधिकार आवेदन के साथ समर्पित किया जा रहा है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित सूचना बिन्दुओं से संबंधित वांछित एवं सही सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित 30 दिनों की समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। सूचना उपलब्ध कराने के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन नियम) 2005 की धारा 4 के अनुरूप गणनित की जाए। साथ ही साथ पन्नों की संख्या को सूचना बिन्दुवार रूप से उल्लेखित किया जाए। निवेदन है कि विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का विलोपन नहीं किया जाए।

सहयोग के लिए धन्यवाद!

विश्वासभाजन



(सोनू सिंह)

(आवेदक)

स्थान राजिवा / दिनांक 29.11.11

अनुलग्नक संलग्न :-

1. सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रूप में मूल्य रुपये ₹ 10/- की राशि प्रावधानों के अनुकूल पोस्टल ऑर्डर संख्या BE.118212 द्वारा मूल रूप में समर्पित।

No. I-11034/10/2014-NM/ANO-I
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Naxal Management Division

Room No. 13-A, North Block
New Delhi, dated the 7th February, 2014


To

Shri Sonu Singh,
Sahijana Road, Near Sahijana Mill,
Post & district – Garhwa,
Jharkhand

Subject: RTI application – under Right to Information Act-2005.

Please refer to this Ministry's communication No. IV/16015/2011-CSR-II dated 28.01.2014 under reference to your RTI application dated 29.11.2011 & CIC order dated 10.01.2014 against your appeal dated 11.01.2013 in this regard and received in this office on 30.01.2014 through Director, CS Division & CPIO, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi - 110001.

2. The information sought in your application does not pertain to the ANO-I Wing. Therefore, information of this Wing may be treated as 'NIL'.



(Daljit Singh Chawdhary)
Director (ANO) & CPIO
Telefax No: 011-2309 4019

PB No-8/ANO-1/14
DT - 07/2/14

ok